

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

संख्या: 1292/ई-निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/नैनी0/2019-20,

दिनांक: 23 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 005\_Nainital\_Sethi Dharkot\_Betalghat\_1.540ha/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 02 अगस्त, 2018 के द्वारा जनपद के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम सेठी घारकोट, क्षेत्रफल 1.540 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 33880 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 16940 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 31.08.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 19 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 28.08.2018 को घोषित किया गया, जिसमें पाया गया कि त्रुटिवश 01 निविदादाता श्री दीपक सिंह की निविदा को अस्वीकृत किया गया। इस कार्यालय के आदेश संख्या 436, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री दीपक सिंह की निविदा को स्वीकृत करते हुए जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम सेठी घारकोट, क्षेत्रफल 1.540 है0 हेतु तकनीकी निविदा का संशोधन परिणाम [uktender.gov.in](http://uktender.gov.in) पर अपलोड किया गया, जिसमें समिति द्वारा 01 निविदाकार श्री इन्दर सिंह का हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने एवं शपथ पत्र संलग्न न होने के कारण उनकी प्रथम चरण की ई-निविदा को अस्वीकृत करते हुए शेष 18 निविदाकारों की तकनीकी बोली को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई-निविदा बोली दिनांक 31.08.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है:-

तालिका- 1

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री नवीन चन्द्र पंत	47657/M171222134032530	33,880 टन
2	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	47692/M180526122922773	33,880 टन
3	श्री अखिल भण्डारी कॉन्ट्रैक्टर	47705/M171227120440153	33,880 टन
4	श्री अमन जोशी	47714/M180216120821630	33,880 टन
5	श्रीमती भगवती बिष्ट	47749/M180113110617220	33,880 टन
6	श्री मनिन्दर सिंह	47762/M180509165142500	33,880 टन
7	श्री मनप्रीत सिंह आनन्द	47763/M180221133016940	33,880 टन
8	श्री जसविन्दर सिंह	47775/M180509142741203	33,880 टन
9	श्री नवीन चन्द्र नैनवाल	47804/M171221155210897	33,880 टन
10	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	47818/M180816120900897	33,880 टन
11	श्री श्याम सुन्दर सिंह मेहरा	47828/M180816121115277	33,880 टन
12	मै0 संजय सिंह रावत	47846/M180102164750107	33,880 टन
13	मै0 आनन्द सिंह डैला	47849/M180102130255730	33,880 टन
14	श्री बलजीत सिंह	47858/M171227120300020	33,880 टन
15	श्री नीरज सिंह	47873/M171222133831253	33,880 टन
16	श्री अम्बा दत्त	47878/M171229121247243	33,880 टन
17	श्री हरीश सिंह मेहरा	47885/M171221114521393	33,880 टन

18	श्री दीपक सिंह	47888/M171228142053130	33,880 टन
----	----------------	------------------------	-----------

जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम सेठी धारकोट, क्षेत्रफल 1.540 है० पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 33,880 टन प्राप्त हुई।

जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम सेठी धारकोट, क्षेत्रफल 1.540 है० पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 33,880 x 40.00 = **रु० 13,55,200.00** (रु० तेरह लाख पचपन हजार दो सौ मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 442/ई०निवि०सहई०नीला०/परिणाम/नैनी०/भू०खनि०ई०/2018-19, दिनांक 01 सितम्बर, 18 के द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील बेतालघाट के ग्राम सेठी धारकोट, क्षेत्रफल 1.540 है० पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु० 13,55,200.00** (रु० तेरह लाख पचपन हजार दो सौ मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 005\_Nainital\_Sethi Dharkot\_Betalghat\_1.540ha/ई०निवि०सहई०नीला०/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 20.09.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार 17 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 515/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू०खनि०ई०/2017-18, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 25.09.18 को अपराह्न 2:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके [eauction.uk.gov.in](http://eauction.uk.gov.in) software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र०सं०	बिडर मास्क्ड आई०डी०	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रु०
1	20181457611530	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.21 बजे	15754200.00
2	20181457614202	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.20 बजे	10502800.00
3	20181457611156	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.28 बजे	24400376.00
4	20181457611716	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.40 बजे	24407152.00
5	20181457614039	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.25 बजे	16262400.00
6	20181457614163	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.42 बजे	31833648.00
7	20181457614241	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.19 बजे	7114800.00
8	20181457614229	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.25 बजे	24393600.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 08 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रु० 3,18,33,648.00 (रु० तीन करोड़ अट्ठारह लाख तैतीस हजार छः सौ अड़तालीस मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की माक्सड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2403/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 30 जनवरी, 2019 के द्वारा की गई :-

क्र0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर माक्सड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181457614163/Dinesh Kumar Gupta (M180816120900897)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.42 बजे	31833648.00	H1
2	20181457611716/Naveen Chandra Pant (M17122134032530)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.40 बजे	24407152.00	H2
3	20181457611156/Deepak Singh (M171228142053130)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.28 बजे	24400376.00	H3
4	20181457614229/Anand Singh Dhaila (M180102130255730)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.25 बजे	24393600.00	H4
5	20181457614039/Jasvinder Singh (M180509142741203)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.25 बजे	16262400.00	H5
6	20181457611530/Akhil Bhandari Contractor (M171227120440153)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.21 बजे	15754200.00	H6
7	20181457614202/Ms Anil Kumar Agarwal (M180216120821630)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.20 बजे	10502800.00	H7
8	20181457614241/Naveen Chandra Nainwal (M171221155310897)	25 सितम्बर, 2018, अपराह्न 02.19 बजे	7114800.00	H8

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2403/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 30 जनवरी, 2019 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, ..... H8 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 2403/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 30 जनवरी, 2019 द्वारा श्री दिनेश कुमार गुप्ता (M180816120900897) को जनपद नैनीताल की तहसील बेटालघाट के ग्राम सेठी घारकोट, क्षेत्रफल 1.540 है0 पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज क्षेत्र से कुल 33,880 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 3,18,33,648.00 (रू0 तीन करोड अट्ठारह लाख तैंतीस हजार छः सौ अडतालीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 31,83,365.00 (रू0 इकतीस लाख तिरासी हजार तीन सौ पैसठ मात्र) एवं नियम- 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात रू0 31,83,365.00 (रू0 इकतीस लाख तिरासी हजार तीन सौ पैसठ मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके उपरान्त भी H1 बोलीदाता श्री दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई गई है।

उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दिनेश कुमार गुप्ता (M180816120900897) को भी उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28ख(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 368/ई-निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/नैनीताल/2019-20, दिनांक 25 मई, 2019 के द्वारा असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया गया तथा उनके द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा दि नैनीताल बैंक लि0 द्वारा जारी एफ0डी0आर0 संख्या-542030, दिनांक 21.08.2018, रू0 3,38,800.

00 (रु० तीन लाख अडतीस हजार आठ सौ मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया गया तथा नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री नवीन चन्द्र पन्त (M17122134032530) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रु० 2,44,07,152.00 (रु० दो करोड़ चवालीस लाख सात हजार एक सौ बावन मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रु० 24,40,715.00 (रु० चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) एवं नियम- 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात् रु० 24,40,715.00 (रु० चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

10- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3, 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त अगले स्तर हेतु पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या-5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 368/ई-निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0 ई0/नैनीताल/2019-20, दिनांक 25 मई, 2019 के द्वारा श्री नवीन चन्द्र पन्त को अधिकतम ई-नीलामी बोली रु० 2,44,07,152.00 (रु० दो करोड़ चवालीस लाख सात हजार एक सौ बावन मात्र) के सापेक्ष H2 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 368/ई-निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0 ई0/नैनीताल/2019-20, दिनांक 25 मई, 2019 के क्रम में श्री नवीन चन्द्र पन्त H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रु० 2,44,07,152.00 (रु० दो करोड़ चवालीस लाख सात हजार एक सौ बावन मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रु० 24,40,715.00 (रु० चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) एवं नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रु० 24,40,715.00 (रु० चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री नवीन चन्द्र पन्त H2 निविदादाता को असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी एक्सिस बैंक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या-012062, दिनांक 20.08.18 रु० 3,38,800.00 (रु० तीन लाख अडतीस हजार आठ सौ मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्री दीपक सिंह द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली रु० 2,44,00,376.00 (रु० दो करोड़ चवालीस लाख तीन सौ छिहत्तर मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रु० 24,40,038.00 (रु० चौबीस लाख चालीस हजार अडतीस मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस

प्रतिशत धनराशि रू0 24,40,038.00 (रू0 चौबीस लाख चालीस हजार अडतीस मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

### आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या 368/ई-निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0 ई0/नैनीताल/2019-20, दिनांक 25 मई, 2019 के क्रम में श्री नवीन चन्द्र पन्त H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 2,44,07,152.00 (रू0 दो करोड चवालीस लाख सात हजार एक सौ बावन मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 24,40,715.00 (रू0 चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) एवं नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 24,40,715.00 (रू0 चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री नवीन चन्द्र पन्त H2 निविदादाता के रूप में असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री नवीन चन्द्र पन्त H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा एक्सिस बैंक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या-012062, दिनांक 20.08.18 रू0 3,38,800.00 (रू0 तीन लाख अडतीस हजार आठ सौ मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28(क)(2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्री दीपक सिंह (M171228142053130) द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 2,44,00,376.00 (रू0 दो करोड चवालीस लाख तीन सौ छिहत्तर मात्र) के सापेक्ष सफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तदनुसार श्री दीपक सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एवं आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगे:-

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 2,44,00,376.00 (रू0 दो करोड चवालीस लाख तीन सौ छिहत्तर मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 24,40,038.00 (रू0 चौबीस लाख चालीस हजार अडतीस मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 2,44,00,376.00 (रू0 दो करोड चवालीस लाख तीन सौ छिहत्तर मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 24,40,038.00 (रू0 चौबीस लाख चालीस हजार अडतीस मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानानुसार ई-नीलामी बोलीदाता H3 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 2,44,00,376.00 (रू0 दो करोड चवालीस लाख तीन सौ छिहत्तर मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 24,40,038.00 (रू0 चौबीस लाख चालीस हजार अडतीस मात्र), 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 2,44,00,376.00 (रू0 दो करोड चवालीस लाख तीन सौ छिहत्तर मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 24,40,038.00 (रू0 चौबीस लाख चालीस हजार अडतीस मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा नहीं किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी आई0डी0बी0आई0 बैंक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या-009197, दिनांक 30.08.18 रू0 3,38,800.00 (रू0 तीन लाख अडतीस हजार आठ सौ मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।


अतः श्री दीपक सिंह दरमवाल पुत्र श्री बिहारी सिंह, निवासी-ग्राम झूतिया, तहसील व जिला नैनीताल H3 (M171228142053130) ई-नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

  
(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)  
निदेशक

संख्या: /ई-निवि०सह०ई-नीला०/भू०खनि०ई०/नैनी०/2019-20 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल।
4. श्री नवीन चन्द्र पन्त पुत्र स्व० श्री शंकर दत्त पन्त, निवासी- दुर्गा भवन, बरेली रोड, तल्ली, हल्द्वानी।
5. श्री दीपक सिंह दरमवाल पुत्र श्री बिहारी सिंह, निवासी-ग्राम झूतिया, तहसील व जिला नैनीताल।

  
(डॉ० मेहरबान सिंह बिष्ट)  
निदेशक